(c) and (d) All these projects (except Talcher STPP-II) are financed by World Bank/ADB and OECF. NTPC raises resources through various sources including market borrowing, syndicated loans, External Commercial Borrowings etc. to finance its expansion programmes. In principle indicative offers have also been received from financial institutions such as ICICI, IDBI etc. and from some of the Nationalised Public Sector Banks which will be considered as and when required.

World Bank loan for power sector in Andhra Pradesh

1659. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank has recently cleared 210 million dollar loan for the power sector in Andhra Pradesh;

(b) if so, the details of the proposal and how this loan is to be utilised; and

(c) the proposal for restructuring of power sector in Andhra Pradesh and the extent to which the power scarcity in. the State will be eliminated?

THE MINISTER OF POWER, MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI PR. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) Yes, Sir. The World Bank loan of US $ 210 million under Adaptable Program Loan (APL-I) is proposed to be utilised for (0 Augmentation of Transmission system, (ii) Strengthening of the sub-transmission and Distribution System, (iii) Metering System Improvement, and (iv) Technical Assistance.

(c) Based on the recommendation of the High Level Committee formed by Government of Andhra Pradesh to study the status of the Power Sector, the reform initiatives of the Central Government, the Common Minimum National Action Plan for Power and keeping in view the reform process set in motion in other States, the Government of Andhra Pradesh formulated a detailed Power Sector policy envisaging the restructuring of the Power Sector through unbundling of the vertically integrated electricity board and facilitating the formation of commercially viable entities. An independent Regulatory Commission would be set up which would license the Transmission and Distribution entities which would also fix appropriate tariff and ensure optimum performance by the utilities. As a part of the Reform and Restructuring Policy, the Government proposes to distance itself from the operational managerial and regulatory functions relating to the Power Sector and provide the required autonomy to the newly formed entities. With these restructuring initiatives it is expected that the sector would achieve financial viability which would help in attracting fresh investments in transmission, distribution and generation for improved and efficient working of the sector leading to removal of scarcity in supply.

क्षेत्र-वार विद्युत उत्पादन

1660. **श्री कपिल सिब्बल** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन-कौन से हैं और क्या इन क्षेत्रों में विद्युत की खपत तथा विद्युत उत्पादन की मात्रा का अलग-अलग आंकलन किया गया है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत की खपत और विद्युत की आवश्यक मात्रा कितनी कितनी थी, और

(घ) क्या अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत भेजने की व्यवस्था की गयी यदि हां, तो किस किस क्षेत्र से किस किस क्षेत्र को कितनी – कितनी बिजली दी गई?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : (क) और (ख)जी, हां । देश की विद्युत प्रणाली को विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के दृष्टिकोण से उत्तरी,पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों नामक पांच क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है । विद्युत उपभोग और विद्युत उत्पादन के सबंध में सभी पांच क्षेत्रों के लिए अलग से आंकलन किए जाते हैं।

((ग) अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 की अवधि के लिए विद्युत की उपलब्धता औरा राज्य/क्षेत्रवार आवश्यकता के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(सभी आंकड़े मि.यू. निवल में)

	अप्रैल, 98 1999	**से जनवरी**,	
क्षेत्र	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
उत्तरी क्षेत्र	109732	104953	4.4
पश्चिम क्षेत्र	122057	116802	4.3
दक्षिणी क्षेत्र	96041	85601	10.9
पूर्वी क्षेत्र	36073	36473	-1.1 (अधिशेष)
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	4143	4071	1.7
आखिल भारत	368046	347900	5.5

(घ) जी, हां। अधिशेष विद्युत क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने की व्यवस्था विद्यमान है। विद्युत की आपूर्ति अतिरिक्त विद्युत वाले पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी उत्तरी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को की जा रही है। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में मौजूदा आधिक्य और कमी संबंधी स्थिति पर निर्भर करते हुए विद्युत का आदान-प्रदान कर रहे हैं। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र भी दक्षिणी को विद्युत की आपूर्ति करते रहे हैं। क्षेत्रों के बीच बाने वाले राज्य भी विद्युत का आदान प्रदान करते रहे हैं। अतिरिक्त विद्युत वाले क्षेत्रों/ राज्यो से विद्युत की आपूर्ति के ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ऊर्जा की अंतर्राज्यीय/अतंर-क्षेत्रीय सहायता

(सभी आंकडे मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	**से सहायता**	**सहायता अप्रैल, जनवरी,** 1998 1999
उत्तरी क्षेत्र		
चण्डीगढ़	पश्चिमी क्षेत्र	2.8
दिल्ली	पश्चिमी क्षेत्र	46.2
हरियाणा	पूर्वी क्षेत्र	0.8
	हिमाचल प्रदेश	100.0
	पंजाब	111.9
	पश्चिमी क्षेत्र	31.9
हिमाचल प्रदेश	हरियाणा	16.2
	पंजाब	68.1
	उत्तर प्रदेश	508.3
	पश्चिमी क्षेत्र	13.5
जम्मू कश्मीर	पंजाब	76.0
	पश्चिमी क्षेत्र	28.9
पंजाब	पूर्वी क्षेत्र	5.3
	हिमाचल प्रदेश	199.7
	जम्मू व कश्मीर	106.0
	पश्चिमी क्षेत्र	47.0
राजस्थान	पूर्वी क्षेत्र	1.2
	हिमाचल प्रदेश	49.9
	पंजाब	320.8
	पश्चिमी क्षेत्र	65.9
उत्तर प्रदेश	प्रर्वी क्षेत्र	0.2
	पश्चिमी क्षेत्र	103.5
	जोड़	1904.1
पश्चिमी क्षेत्र		
गोवा	दक्षिणी क्षेत्र	433.5
गुजरात	उत्तरी क्षेत्र	112.0
	पूर्वी क्षेत्र	603.9
मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश	0.4
	एन टी पी सी (दादरी-जी आर)	0.2
	एन आर	
	पंजाब (एन आर)	
	पंजाब (एन आर)	215.9
	राजस्थान (एन आर)	366.6
	एन टी पी सी (औरैया)	
	एन आर	17.5
	एन टी पी सी (दादरी)	
	-एन आर	28.2
	टी एच	
	उत्तरी क्षेत्र	127.1
	एन टी पी सी (उंचाहार)	
	एन आर	4.2
	पूर्वी क्षेत्र	736.8
महाराष्ट्र	उत्तरी क्षेत्र	66.6
जोड़		2712.9

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	से सहायता	सहायता अप्रैल, जनवरी, 1998, 1999
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	गोवा (पं. क्षे.)	26.3
	गुजरात (प.क्षे.)	167.7
	मध्य प्रदेश (प.क्षे.)	108.7
	महाराष्ट्र (प. क्षे.)	19.5
	पूर्वी क्षेत्र	588.3
कर्नाटक	गोवा (प. क्षे.)	3.3
	गुजरात (प.क्षे.)	9.2
	महाराष्ट्र (प.क्षे.)	684.3
केरल	गोवा (प.क्षे.)	1.5
	गुजरात (प.क्षे.)	5.1
	महाराष्ट्र(प.क्षे.)	5.5
केरल	पूर्वी क्षेत्र	258.3
तमिलनाडु	पूर्वी क्षेत्र	295.2
	गोवा (प.क्षे.)	5.4
	गुजरात (प. क्षे.)	13.2
	महाराष्ट्र (प.क्षे.)	130.2
	पंजाब (उ. क्षे.)	136.6
जोड़		2458.3
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	असम (उ. पू.क्षे.)	0.8
डी.वी.सी.	एन टी पी सी (औरेया) – उ. क्षे.	3.7
	एन टी पी सी (दादरी –टी वी एस) उ.क्षे.	11.2
डी.वी.सी.	असम- उ. पू.क्षे.	3.2
उड़ीसा	आई सी सी एल	198.8
	नाल्को	769.6
पश्चिम बंगाल	असम-उ.पू. क्षे.	7.0
जोड़		994.3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
असम	मेघालय	56,4
मणिपुर	पूर्वी क्षेत्र	302.2
	मेघालय	26.4
जोड़	385.0	

टिप्पणी :- प. क्षे. पश्चिमी क्षेत्र
उ. क्षे. उत्तरी क्षेत्र
पू. क्षे. पूर्वी क्षेत्र
उ. पू. क्षे. उत्तर –पूर्वी क्षेत्र

CAG report regarding CAPART

1661. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether A Comptroller and Auditor-General (CAG) report has accused the Council for Advancement of People's Action and rural Technology (CAPART), of being caught in a tangle of corruption and inefficiency; and

(b) if so, the details and action being taken, if any, in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The C & AG in his report (No. 4 of 1998) which was presented to Parliament on 11th June, 1998 has made observations on irregulatities in the sanctioning of projects, release of funds, monitoring etc. by the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART).

(b) Details of observations included in the C & AG's report are given in the statement. *(See below)*

So far CAPART has taken the following action:—

(i) 89 show cause notices have been issued to the concerned voluntary organisations.